NAI DUNIYA, Delhi, 12.1.2018
Page No. 12, Size:(16.21)cms X (12.00)cms.

योजना के शिल्पकार हैं इंफोसिस निदेशक, आधार के पक्ष में आए सामने

आधार को किया जा रहा बदनाम

बेंगलुरु। एजेंसी

देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान नंबर देने की आधार योजना के शिल्पकार नंदन नीलेकणि ने कहा है कि इसे योजना बनाकर बदनाम किया जा रहा है। नीलेकणि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान में अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के निदेशक हैं।

इंफोसिस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार समारोह के मौके पर पत्रकारों से चर्चा में नीलेकणि ने यह बात कही। उन्होंने आधार डेटा लीक संबंधी एक रिपोर्ट प्रकाशित करने पर एक अखबार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने को लेकर सवाल के जवाब में आधार के खिलाफ प्रचार का अभियान चलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आधार को बदनाम करने की साजिश चल रही है और यह शत-प्रतिशत सच है।

नंदन नीलेकणि

आधार डेटा लीक होने संबंधी एक रिपोर्ट पर चंडीगढ़ के अखबार के खिलाफ केस दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि आधार पर नकारात्मक विचारों के नकारात्मक परिणाम ही होंगे, लोगों के लिए बेहतर होगा कि इसे लेकर रचनात्मक विचार रखें। यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप सिर्फ नकारात्मक विचार रखते हैं और रचनात्मक विचार नहीं है तो उसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे।

उन्हें लगता है कि सब को यह मान लेना चाहिए कि आधार यहां बना रहेगा, क्योंकि आधार से जुड़े कम से कम 119 करोड़ लोगों में से 55 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ लिया है और नकदी सबसिडी के तहत 95 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डाले गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट कायम रखेगी

नीलेकणि ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को जारी रखेगी। निजता के मूलभूत अधिकार की कसौटी पर कानूनी दृष्टि से यह खरा उतरेगा। उन्होंने यूआईडीएआई द्वारा आधार आईडी की सुरक्षा के लिए वर्चुअल आईडी सिस्टम अपनाने की घोषणा का स्वागत किया।

निजता की आड़ में नवोन्मेष की हत्या न हो : प्रसाद

इधर, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा में जनता से अपील की कि वह डेटा लीक होने के मुद्दे को अत्यधिक बढ़ावा न दे। देश में डिजिटल क्रांति के तहत हो रहे नवोन्मेष की निजता को खतरे के नाम पर हत्या नहीं की जा सकती। छठे सालाना अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर प्रसाद ने कहा कि लाइसेंस राज की वजह से देश 80 व 90 के दशक में औद्योगिक व उद्यमी क्रांति का अवसर खो चुका है, लेकिन देश को अब डिजिटल क्रांति का मौका नहीं खोना चाहिए।

कानून मंत्री ने यह बात जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी का जिक्र करते हुए कही। यह कमेटी डेटा संरक्षण के लिए कड़े कानून पर काम कर रही है। प्रसाद ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यात्रा आपका निजी मसला है, लेकिन यदि आप विमान जैसे सार्वजनिक परिवहन में सफर करना चाहते हैं तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। उसी तरह आप क्या खाते हो, यह निजी पसंद हो सकता है, लेकिन यदि आप रेस्तरां में खाते हैं तो वह बिल के जरिए रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए निजता के मुद्दे को बहुत अधिक तवज्जो न दें।